न्यायालय भू प्रबंध अधिकारी पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर

पीठासीन अधिकारी :— श्री अनिल कुमार वार्ष्णेय, आर. ए. एस.

अपील संख्या:— 47 / 2016 (225 आर. टी. एक्ट)

उनवान

1. सत्यवीर } पुत्रान बच्चू जाति ठाकुर निवासी ग्राम महलपुर चूरा तह0 रूपवास जिला
2. शिशुपाल } भरतपुर

.......................अपीलांट।

बनाम

1. हरिओम } पुत्रान बेताल सिंह जाति ठाकुर निवासी महलपुर चूरा तह0 रूपवास
2. त्रिलोकपाल सिंह } जिला भरतपुर

.... असल रेस्पोंडेंट।

3. ओमी } पुत्रान बच्चू जाति ठाकुर निवासी ग्राम महलपुर चूरा तहसील रूपवास जिला
4. तुलसी } भरतपुर।

..............................तरतीवी रेस्पोंडेंट।

अपील विरूद्ध आदेश न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रूपवास दिनांक 07.09.2016 उनवानी हरिओम बनाम ओमी मु0न0 119 / 2016

अभिभाषक :—

1. वकील अपीलांट श्री दुलीचन्द शर्मा उपस्थित।
2. अपीलाण्ट अनुपस्थित।

निर्णय दिनांक :— 03.04.2018

1. यह अपील अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रूपवास के आदेश दिनांक 07.09.2016 के विरूद्ध पेश की गई है। संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में असल रैस्पो0 / प्रार्थीगण ने मूल दावा के साथ एक प्रार्थना पत्र बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम विरूद्ध अपीलाण्ट / अप्रार्थीगण, इस आशय का पेश किया किया कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 928 / 429 रकवा 03 बीघा 03 विस्वा वाके ग्राम महलपुर चूरा तहसील रूपवास जिला भरतपुर के असल रैस्पो0 / प्रार्थीगण 1 / 3—1 / 3 हिस्से के रिकार्डेड खातेदार काश्तकार एवं काबिज आराजी हैं। उक्त विवादित आराजी से अपीलाण्ट / अप्रार्थीगण का किसी भी किस्म का कोई ताल्लुक एवं संबंध सरोकार नहीं है। अपीलाण्ट / अप्रार्थीगण जोर जबरदस्ती, लट्ठ व पैसे की दम पर विवादित आराजी पर जबरन अपना अवैध कब्जा कर उस पर पक्की तामीर करना चाहते हैं। यदि अपीलाण्ट / अप्रार्थीगण अपनी उक्त धमकी व कृत्य में सफल हो गये तो असल रैस्पो0 / प्रार्थीगण

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

को भारी नुकसान होगा। अतः अपने खातेदारी अधिकारो की रक्षा के लिए प्रार्थना पत्र पेश करते हुए, अपीलाण्ट/अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द करने का अनुतोष चाहा। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त प्रार्थना पत्र बाद सुनवाई एक पक्षीय असल रैस्पो0/प्रार्थीगण अपीलाधीन आदेश दिनांक 07.09.2016 से अन्तरिम स्थगन पारित किया। जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट/अप्रार्थीगण द्वारा यह अपील इस न्यायालय में पेश की गयी है।

2. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोंडेंट एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलब किया गया। बाबजूद सूचना रैस्पो0 उपस्थित नहीं। अतः उनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में जाकर, बहस अपीलाण्ट एक पक्षीय सुनी गई।

3. विद्वान अधिवक्ता अपीलांट का तर्क है कि अपीलाधीन आदेश दिनांक 27.10.2016 तक ही प्रभावी रहा है, अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अग्रिम पेशियों में स्थगन आदेश नहीं बढाया गया है। अतः स्थगन आदेश की अवधि समाप्त होने के कारण, अपील प्रभावहीन हो चुकी है।

4. हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं अपीलाधीन आदेश का अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 07.09.2016 को, असल रैस्पो0 के पक्ष में स्थगन आदेश जारी किया गया है। परन्तु अपीलाधीन आदेश दिनांक 07.09.2016, एक अन्तरिम आदेश है, विधि अनुसार अन्तरिम स्थगन आदेश के विरूद्ध अपील सामान्यतः संधारणीय नहीं है, क्योंकि अपीलाधीन आदेश अग्रिम तारीख पेशी 27.10.2016 तक ही प्रभावी किया गया है अतः स्थगन आदेश के विरूद्ध अपीलाण्ट/अप्रार्थीगण को कोई उज्र था, तो अधीनस्थ न्यायालय में ही करना चाहिए था। परन्तु अपीलाण्ट द्वारा ऐसा नही किया जाकर, उक्त आदेश के विरूद्ध अपील प्रस्तुत की गई है। अन्तरिम आदेश दिनांक 07.09.2016 की अपील होने पर, अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब होकर इस न्यायालय को प्राप्त हुई। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय में कोई अन्तिम आदेश पारित नही हुआ है। इस प्रकार अपीलाण्ट/अप्रार्थीगण द्वारा अन्तरिम स्थगन आदेश दिनांक 07.09.2016 को अधीनस्थ न्यायालय में कोई चुनौती नही दी है। इसके अतिरिक्त दौराने बहस, अपीलाण्ट के विद्वान अभिभाषक का यह कथन कि स्थगन आदेश दिनांक 27.10.2016 तक ही प्रभावी था अतः अपील प्रभावहीन हो चुकी है, सुसंगत है। लिहाजा अपील संधारणीय नहीं होने के कारण, हम खारिज योग्य पाते हैं।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

5. अतः आदेश है कि अपील अपीलाण्ट खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रति के साथ इस निर्देश के साथ प्रेषित किया जावें कि उक्त प्रार्थना पत्र धारा 212 रा0का0अ0 का अधिकतम एक माह में विधि अनुसार अन्तिम निस्तारण करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम की जावें तथा बाद जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

6. निर्णय आज दिनांक 03.04.2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अनिल कुमार वार्ष्णेय)
आर.ए.एस.
भू प्रबंध अधिकारी पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर